

आदेश
गार्ड कारखाने
में लिखे
आदेश

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

आदेश पर
की गई
कार्यवाही

जिला दण्डाधिकारी—सह—उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

अधिहरण वाद संख्या— 24/2022-23

राज्य सरकार

—बनाम—

जाकीर शेख वगै०

—: आदेश :—

21.07.2023

प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज के पत्रांक 3117/अप०शा०, दिनांक 08.08.2022 से कोटालपोखर थाना कांड संख्या 25/2022, दिनांक 17.06.2022, धारा—379/411 भा०द०वि०, 21(ए)/21(6)/22, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 एवं 04/54 झा०ल०ख०सम० नियम 2004 एवं 7/9 झारखंड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक संख्या (1) NL01AC-5565, (2) NL01AE-5955, (3) NL01AC-5877, (4) NL01AD-5210 एवं उसपर लोड पत्थर चिप्स सहित राजसात करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वाद प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारणपृच्छा की माँग की गयी।

मामला संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:— दिनांक 14.06.2022 को सुबह 04:00 बजे से कोटालपोखर थाना अन्तर्गत पलाशबोना के पास पुलिस द्वारा गश्ती के दौरान वाहनों का औचक जाँच किया गया। जाँच के क्रम में स्टोन चिप्स से लदा हुआ ट्रक संख्या 1. NL01AC-5565, 2. NL01AE-5955, 3. NL01AC-5877, 4. NL01AD-5210 का जाँच किया गया। उक्त ट्रकों के चालक से लोड खनिज चिप्स का परिवहन चालान का माँग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त सभी ट्रकों के चालक वाहन छोड़कर भाग गये।

गश्ती टीम के द्वारा ट्रक संख्या 1. NL01AC-5565, 2. NL01AE-5955, 3. NL01AC-5877, 4. NL01AD-5210 को उस पर लोड स्टोन चिप्स सहित साक्षी 1. सुदाम शेख, पिता—नूर इस्लाम, सा०—विजयपुर, थाना—कोटालपोखर, जिला—साहेबगंज एवं 2. पु०अ०नि० शिवदोय तिकी, कोटालपोखर, जिला—साहेबगंज के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाते हुए जप्त किया गया एवं कोटाल पोखर थाना में सुरक्षार्थ रखा गया।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा अपने पत्रांक 516/एम०, दिनांक 16.06.2022 के द्वारा उक्त ट्रक संख्या 1. NL01AC-5565, 2. NL01AE-5955, 3. NL01AC-5877, 4. NL01AD-5210 के चालक, मालिक, खनिज क्रेता एवं विक्रेता को प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश थाना प्रभारी, कोटालपोखर को दिया गया, जिसके आलोक में थाना कांड संख्या 25/2022, दिनांक 17.06.2022 अंकित किया गया।

देश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2 नोटिस तामिला प्राप्त। विपक्षीगण उपस्थित। विपक्षी पिछले लगातार तिथियों से विपक्षी अनुपस्थित एवं कारणपृच्छा दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी को लगातार अनुपस्थित रहने एवं माननीय NGT के आदेश के अनुपालन में दण्ड की राशि जमा नहीं किये जाने के फलस्वरूप अवैध खनन के परिवहन में प्रयुक्त मानते हुए राजसात की कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। अतएव अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोटालपोखर थाना कांड संख्या 25/2022, दिनांक 17.06.2022, धारा-379/411 भा0द0वि0, 21(ए)/21(6)/22, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 एवं 04/54 झा0ल0ख0सम0 नियम 2004 एवं 7/9 झारखंड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक संख्या (1) NL01AC-5565, (2) NL01AE-5955, (3) NL01AC-5877, (4) NL01AD-5210 एवं उसपर लोड पत्थर चिप्स को अवैध परिवहन कार्य में संलिप्त रहने के कारण राजसात करना उचित प्रतीत होता है। Before the National Green Tribunal Principal Bench, New delhi के Original Application No. 23/2017 (EZ), Order dated 15.03.2023 के कंडिका-19 के अनुसार "we note from the above compliance status, presented to the Tribunal, that 112 units do not have height lower than the height of wind breaking walls nor they have constructed road for transportation to control dust pollution, as noted at Sr. No. V and VI. They are reported to be merely using water sprinklers to control dust in the course of transportation, adequacy of which is not been verified nor source of availability of water for water sprinklers ascertained. Level of dust pollution is not ascertained. As shown at Sr. No. X, green belt has not been developed except by 131 units. Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not complying with the directions of covering the transported material for which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs. Only one stone unit has installed PTZ camera and no action has been taken against the violators. Only 35 units have PM₁₀ Analyser (Sr. No. XX). Pollution Control Devices have not been installed for which notices have been issued by the State PCB under the Water Act, 1974 and Air Act, 1981 (Sr. No. XXI). Environmental Compensation deposited is said to be less than Rs. 4 crores against levy of Rs. 7 crores compensation. No action has been taken against those who have failed to pay the compensation. The collected amount has not been utilized for restoration measures. Carrying capacity and damage assessment has not been done on the ground that the Expert Institutions are not available and work has now been awarded on 28.01.2023 to Birsa Institute of Technology (Sr. No. XXIII).

Comprehensive Environment Management Plan has not been prepared (Sr. No. XXIV). Overloading of vehicles has been found for which fine has been imposed against 167 vehicles”

1. माननीय NGT के Observation के आधार पर Original Application No. 23/2017 (EZ) में दिनांक 15.03.2023 को पारित आदेश के कण्डिका-19 के अनुसार Sr. No. XV shows that 471 vehicles were found not which no action was taken against the units but the vehicles were required to pay fine of Rs. 12.88 Lakhs.
2. जिला में चल रहे अवैध माईनिंग एवं परिवहन के रोक-थाम हेतु कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

जां०-469/अ
18-9-23

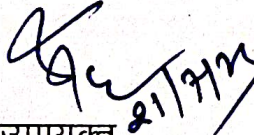
अतः कोटालपोखर थाना कांड संख्या 25/2022, दिनांक 17.06.2022, धारा-379/411 भा०द०वि०, 21(ए)/21(6)/22, खान एवं खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम 1957 एवं 04/54 झा०ल०ख०सम० नियम 2004 एवं 7/9 झारखंड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत जप्त ट्रक संख्या (1) NL01AC-5565, (2) NL01AE-5955, (3) NL01AC-5877, (4) NL01AD-5210 एवं उसपर लोड पत्थर चिप्स सहित The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का 11(V) के अन्तर्गत राजसात किया जाता है।

जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज को निदेश दिया जाता है कि थाना प्रभारी, कोटालपोखर के उपस्थिति में उक्त वाहनों को लोड पत्थर चिप्स सहित नीलामी कर प्राप्त राशि जिला नजारत में जमा करें।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, साहेबगंज, जिला परिवहन पदाधिकारी, साहेबगंज, पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज एवं थाना प्रभारी, कोटालपोखर को भेजें।

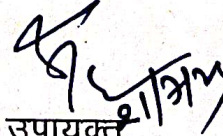
पारित आदेश से विपक्षीगण को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त

—सह—

जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।


उपायुक्त

—सह—

जिला दण्डाधिकारी,
साहेबगंज।